

२९/३/२३ फावणी चेरा हुई। वादी
 एवं वादी वकील अनुपील्लर। फावणी का
 अवगोचन किया गया। न्यायालय द्वारा
 बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद
 वादी द्वारा अपेक्षा की पालना नहीं की गयी।
 अतः फावणी ७-७२-२/७-७२-५ में
 खारीज की जाती है। फावणी केसल-२५
 ही कर नम्बर से कम हो बाद शर्त कारिका
 दफ्तर ही। सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 बरसेठ (अन्वय) राज.